

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 422/2-6 दिनांक, देवरिया, अगस्त 8-8/ 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर।

विषय :- जनपद-देवरिया में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस0एच0-79) के कि0मी0 15 से 16 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-1034/ग्राम-सिरवनियों, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.071528 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 03 वृक्षों के पातन के अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार के पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/06/123/2023/एफ0सी0/190 दिनांक 16.06.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-3987/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/एप्रोच/153494/2022 दिनांक 29.06.2023।

महोदय

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उठाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तरालेख
1	2	3
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि सड़क पटरी के किनारे (रैखिक) प्रस्तावित की गयी है। वन भूमि ब्लाक में क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि प्रस्तावित करने की आवश्यकता है।	उक्त प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम समाज कुशहरी, तहसील व जिला-देवरिया में गैर संरक्षित वन भूमि में चयनित किया गया है। जिसका डिजिटल मैप व टोपोशीट तथा प्राक्कलन संलग्न कर स्वीकृति हेतु प्रेषित है।
2	पी0डब्लू0डी0 द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सील/मुहर किये गये ले-आउट प्लान को परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।	पी0डब्लू0डी0 द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सील/मुहर किये गये ले-आउट प्लान को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
3	प्रभागीय निदेशक द्वारा न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।	प्रभागीय निदेशक द्वारा उक्त प्रस्ताव में न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता/मांग हेतु प्रमाण-पत्र संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या-1 से 3 तक की आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विषयगत प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान कराने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया